न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-84/2016

भागीरथ पुत्र माणीकराम जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- जगदीश पुत्र यादराम
2- विक्रम पुत्र यादराम
3- मनीराम पुत्र जुहारराम
4- सुमेर पुत्र लिखमाराम
5- हरिसिंह पुत्र लिखमाराम

सभी जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23-5-2016 द्वारा उप खण्ड अधिकारी चिडावा ।

---0---

उपस्थिती

1-श्री विजयसिंह चौधरी एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री अनिलकुमार मान एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(ए) का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 912 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 913 रकबा 3.50 हैक्टर ग्राम किठाना में अवस्थित है । जिसमें जोत करने के लिए कृषि के प्रयोजन के लिये ऊट गाडी ट्रेक्टर इत्यादी को लाने व ले जाने के लिये आम रास्ता नहीं है । जिसके लिये नया रास्ता खोलने की आवश्यकता है । जिसमें अप्राथीगण के खातेदारी की आराजी ख0नं0 1665/911 व 911 में से आपनी जोत में कृषि कार्य के लिये नया रास्ता दिलाया जावे । अदालत

मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।योग्य अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र में मांगी गई रिलीफ से हटकर रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 को रिलीफ देकर कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 3 ग्राम किठाना से घरडाना जाने वाले रास्ते से ख0नं0 911 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 913 में आने के लिये रास्ते की मांग की थी । किन्तु अदालत मातहत ने रेस्पो0 द्वारा चाही गई रिलीफ से हटकर ख0नं0 1665/911 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख0नं0 913 में आने जाने का 3 मीटर रास्ता देने का निर्णय किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित है । अदालत मातहत ने रिपोर्ट दिनांक 10-5-16 एवं 12-5-2016 पर गलत रूप से विश्वास कर कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । रिपोर्ट दिनांक 10-5-16 में लिखा है कि ख0नं0 911 में से बिन्दू"ए" से "बी" रास्ते का क्षेत्रफल 200×3= 600 मीटर है । जिसमें "ए" स्थान पर चबुतरा बना है । जबकि अदालत मातहत के पूर्व में पारित आदेश के समय कोई चबूतरा नहीं था । यह चबूतरा बाद में बनाया गया है। बिन्दू"ए" पर कोई श्मशान नहीं है। रिपोर्ट दिनांक 10-5-2016 रेस्पोडेन्ट सं0-4 व 5 से मिलकर गलत बनाई है । बिन्दू संख्या-"ए" से "बी" के मध्य जो ईंटो का ढारा बताया है वह भी पूर्व आदेश के बाद में बनाया है । जो रास्ता नहीं देने के उदेश्य से बनाया गया है । अवैध निर्माण से किसी खातेदार को रास्ते के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । बल्कि इस प्रकार के अवैध निर्माण को उसके खर्चे से ही हटाया जा सकता है । अदालत मातहत ने इस ओर कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है । जमीन हाल ख0नं0 1665/911 अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है ।रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 ने हमारे खेत में से कोई रास्ता नहीं मांगा । रिपोर्ट में बिन्दू सं0"एच" जगह पर अपीलान्ट ने रिहायशी मकान बना रखे है तथा मकानों के पीछे बाथरूम बना रखा है । इसके बाद 3 मीटर जगह बचती ही नहीं है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित दिया है । पूर्व आदेश के समय कम या अधिक इसी वाबत कोई आपत्ति नहीं थी । इसके बाद भी अदालत मातहत ने

अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है । बिन्दू संख्या- सी से डी रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्ट के रिहायशी मकान टुटेंगे । अपीलान्ट के रिहायशी मकानों के पीछे तीन मीटर जगह नहीं बचती है ।अदालत मातहत में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 3 द्वारा चाही गई रिलीफ के विपरित आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-4 व 5 ने बिन्दू संख्या-"ए" पर चबूतरा पूर्व आदेश के बाद में बनाया है। तथा रास्ते के बीच में ईंटों का ढारा लगाया है वह भी बाद में लगाया है । इस तथ्य पर योग्य अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जबकि बिन्दू संख्या-"ए" पर न तो पहले चबूतरा था और न ही यहां पर कोई श्मशान था ।रास्ते के मध्य में ईंटों का ढारा भी बाद में बनाया है । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0-4 व 5 द्वारा अवैध रूप से रास्ते के मध्य बनाये गये निर्माण व अवरोध को इनके खर्चे से ही हटाया जाकर रास्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहे गये अनुसार ही दिया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधिनुसार उचित एवं विधिक पारित किया है ।तहसीलदार चिडावा की मौके की रिपोर्ट आने पर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित किया है । माननीय न्यायालय ने अपील संख्या-68/2013 का दिनांक 28-7-15 को निर्णय पारित किया जिसमें प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर मौके की रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार/भूअभिलेख निरीक्षक से लेक निर्णय पारित करने के आदेश दिये हैं । अदालत मातहत ने माननीय न्यायालय के

के आदेशों की पालना करते हुये अपना निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।ख नकल जमाबन्दी सं0- 2065 से 2068 में ख0नं0 912 व 913 की खातेदारी रेस्पो0 सं0-1 से 3 के नाम दर्ज है ।खसरा नं0-911 की खातेदारी अपीलान्ट एवं रेस्पो0 सं0- 4 व 5 के नाम तथा ख0नं0 1665/911 की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है । मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । मौका रिपोर्ट के अनुसार बिन्दू सं0-"सी" से "डी" का जो रास्ता दिया गया है उसकी दूरी कम है। तथा मौके अनुसार रास्ता दिया गया है ।अदालत मातहत में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है । अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय दिनांक 23-5-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.1.2018 को सुनाया गया ।

25/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर